National Journal of Multidisciplinary Research and Development
ISSN: 2455-9040; Impact Factor: RJIF 5.22
www.nationaljournals.com
Volume 2; Issue 2; May 2017; Page No. 134-137

पंचायतीराज से जनजातीय महिलाओं के विकास की स्थिति

डॉ0 कमलेश पाल

पोस्ट डॉक्टोरल फैलो, समाजशास्त्र विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश

मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने सर्वप्रथम पंचायती राज अधियिम बनाया। इस अधिनियम के अंतर्गत मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज जिसमें ग्राम–स्तर पर ग्राम पंचायत विकास खण्ड स्तर पर जनपद पंचायत एवं जिला स्तर पर जिला पंचायत की व्यवस्था की गयी ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया गया है। जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन जनपद एवं जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था में व्याप्त कमियों को दूर करने तथा सत्ता को विकेन्द्रित करने के उददेश्य से 26 जनवरी 2001 से ग्राम स्वराज व्यवस्था लागू किया।

मूल शब्दः पंचायती राज, गोंड जनजाति, 73वॉ संविधान संशोधन, ग्राम स्वराज व्यवस्था

प्रस्तावना

लोकतंत्रीय राजनैतिक व्यवस्था में पंचायती राज ही वह माध्यम है जो शासन को सामान्य जन के दरवाजे तक लाता है। लोकतंत्र की संकल्पना को अधिक यथाार्थ में अस्तित्व प्रदान करने की दिशा में पंचायती राज व्यवस्था एक ठोस कदम है। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय लोगों की स्थानीय शासन कार्यो में अनवरत रूचि बनी रहती है। ये लोग अपने स्थानीय स्तर पर नियामकीय एवं विकास कार्यो का सम्पादन करने में सहायक सिद्ध होते हैं। भारत में पंचायत व्यवस्था की पृष्ठभमि अतिप्राचीन रही है। यद्यपि उसका स्वरूप पृथक–पृथक रहा है। वैदिक साहित्य में 'ग्राम' प्रशासन की सबसे छेटी इकाई थी। उस समय इसका मुखिया ग्रामिणी कहलाता था। वह ग्राम के श्रेष्ठ एंव वयोवृद्ध लोगों से सलाह लेकर अपना कार्य करता था। इसी प्राकर ग्राम संस्थाओं का उल्लेख रामायण एंव महाभारत काव्य ग्रंथों में मिलता है। कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र' मौर्यकाल में प्रचलित ग्रामीण प्रशासन की व्यवस्था का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। महान मौर्य सम्राटो ने भी शासन की सबसे छोटी इकाई में हस्तक्षेप नहीं किया और ग्राम समुदायों को उसी रूप में रहने दिया। इस प्रकार सम्पूर्ण भारत में ग्राम प्रशासन कायम रहा।

मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने सर्वप्रथम पंचायती राज अधियिम बनाया। इस अधिनियम के अंतर्गत मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज जिसमें ग्राम–स्तर पर ग्राम पंचायत विकास खण्ड स्तर पर जनपद पंचायत एवं जिला स्तर पर जिला पंचायत की व्यवस्था की गयी ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया गया है। जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन जनपद एवं जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश पंचायतीयराज व्यवस्था में व्याप्त कमियों को दूर करने तथा सत्ता को विकेन्द्रित करने के उददेश्य से 26 जनवरी 2001 से ग्राम स्वराज व्यवस्था लागू किया। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ग्राम सभा को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना है जिसके लिए ग्राम सभा में कोष की व्यवस्था की गई है जिसके चार भाग है–(1) अन्न कोष (2) श्रम कोष (3) वस्तु कोष (4) नगद कोष।

प्रस्तुत अध्ययन मध्य प्रदेश के छिदवाड़ा जिले के जुन्नार देव जनपद पंचायत के पांच ग्राम पंचायत (1) दमुआ (2) राखी कोल (3) घोरावारी खुर्द (4) करन पियरिया (5) विलावर कला है। इन सभी ग्राम पंचायतो में गोंड जनजातियों की जनसंख्या लगभग 60. 00 प्रतिशत से अधिक है। जनसंख्या अधिक होने के कारण इन ग्राम पंचायतों में सरपंच के पद इन्ही जनजातियों के लिए आरक्षित किये गये हैं। सरपंच के पदो पर निर्वाचित जनजातीय प्रतिनिधि निश्चित रूप से अपने समाज के प्रति संवेदनशील होगें और उन्हें ऊॅचा उठाने का प्रयास भी करेगें। इसी उद्देश्य से इस क्षेत्र का चयन अध्ययन के लिए किया गया।

गोंड भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक है। मध्य प्रदेश और छतीसगढ के पठारी तथा जंगली भागों मे अनेक जनजातियों के लोग रहते है जिनमें सर्वाधिक संख्या गोंडों की है। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन काल में गोंड एक अत्यंत प्रभावशाली जाति थी जिसके राज्य का विस्तार महाकौशल क्षेत्र में 16 वीं शताब्दी तक था। गोंड शब्द कोंड का हिन्दी रूपान्तर है जिसके लिए कोयतोर शब्द का प्रयोग किया जाता है। हिसलप के अनुसार–गोंड या गुण्ड शब्द कोंड या कुंड का विकृत रूप है। कोंड शब्द तेलगू के कोण्डा से निकला है, जिसका अर्थ पर्वत होता है। इस प्रकार गोंड शब्द को पर्वत में रहने वाले का पर्यायवाची माना जाता है। रशल और हीरालाल (1935) के अनुसार गोंड और उनकी उपजातियां स्वंय की पहचान 'कोय' या 'कोयतोर' शब्द से करती हैं जिसका तात्पर्य मनुष्य या पर्वतवासी मनुष्य है। ग्रियर्सन (1931) का कथन है कि मध्य से लेकर पूर्वी भागों और हैदराबाद तक जहां कही भी गोंड अपनी भाषा का प्रयोग करते है अपने को 'कोया' या 'कोयतोर' कहते है।

मध्य प्रदेश में गोंड जनजातियों का विस्तार सतपुड़ा रेंज के छिदवाडा, बैतूल, होशंगावाद,सिवनी, नरसिंहपुर और मडला जिलों में प्रमुख रूप से फैला हुआ है। कालान्तर में गोंड जनजातियों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों में अपने राज्य विकसित किये इनमें से नर्मदा भदी बेसिन पर स्थित 'गढ़ मण्डला' एक प्रमुख गोंडवाना राज्य रहा है। गोंडी भाषा गोंडवाना साम्राज्य की मातृभाषा है। गोंडी भाषा प्राचीन पांच भाषाओं में से एक होने के कारण अनेक देशी.विदेशी भाषाओ की जननी रही है। गोंडी धर्म दर्शन के अनुसार गोंडी भाषा का निर्माण आराध्यदेव शंभू शेक के डमरू से हुई, जिसे गोएन्दाधिवासी या गोंड वासी कहा जाता है अति प्राचीन भाषा होने के कारण गोडी भाषा अपने आप में पूरी तरह से पूर्ण है। गोंडी भाषा की अपनी लिपि और व्याकरण है जिसे समय.समय पर गोंडी साहित्यकारों ने प्रस्तको के माध्यम से प्रकाशित किया हैं।

शारीरिक रचना का जहां तक प्रश्न है, गोंडों के बाल. चमडी और आंख की पुतली गाढे रंग की होती है। सिर मुख्यतः लम्बे तथा इनकी शीर्ष देशना कम होती है क्योंकि इनके सिर बहुत संकरे होते हैं तथा मस्तक भी सेकरा होता है चेहरा सामान्य रूप से चौडा दिखता है और ठोढी संकरी तथा नुकीली होती है इस प्रकार चेहरे में होठ विशेष प्रकार का मोटा तथा सामने की ओर निकला होता है आंखों में उपरी पलक छुपी सी रहती है तथा उनकी उचाई माध्यम से निम्न तक होती हैं इनके पैर लम्बे धड अपेक्षाकृत छोटे तथा गोड लोग लोग दुबले होने पर भी मजबूत होते है। प्रायः गोड लोग काले रंग के और सुडौल शरीर वाले होते है किन्तु इनके अंग भद्दे रिखाई देते है।

तालिका 1: पंचायतीराज से जनजातीय महिलाओं के विकास की स्थिति

क्र	जनजातीय महिलाओं के विकास की स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1	पारिवारिक जीवन में सुधार	37	14.8
2	अंध विशवासों से मुक्ति	13	5.2
3	व्यक्तित्व विकास	27	10.8
4	आर्थिक विकास	32	12.8
5	उपरोक्त सभी	141	56.4
	योग–	250	100.00

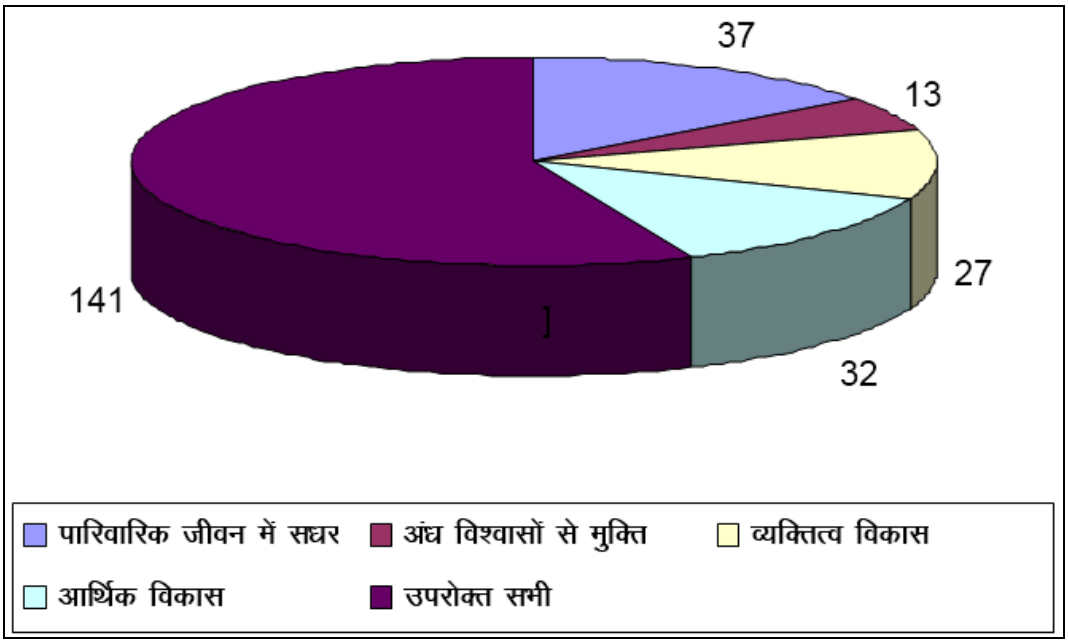

आकृति 1

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायतीराज व्यवस्था से सकारात्मक बदलाव की स्थिति निर्मित होने लगी है। शोध अध्ययन में सम्मिलित 14.8 प्रतिशत उत्तरदाता पंचायतीराज की गतिविधियों से पारिवारिक जीवन में बदलाव आने की बात स्वीकारते हैं। इनका कहना है कि जनजागृति, जनशिक्षा की विभिन्न जानकारियां, टीके, स्वास्थ्य आदि की सुविधाओं ने जनजातीय परिवारों में नये विचार व चेतना का अंकुरण कर दिया है। 5.2 प्रतिशत उत्तरदाता स्वीकारते हैं कि पंचायतीराज ने नवीन विचारों, शिक्षा व ग्राम सभा की बैठकों में परस्पर चर्चा ने कई विषयों पर उनकी भ्रान्तियां दूर कर दी हैं जिससे अंधविश्वासों में कमी आयी है। पंचायतीराज ने आरक्षण के माध्यम से जनजातीय पुरुष एवं महिलाओं को नेतृत्व के पूर्ण अवसर प्रदान किये हैं, साथ ही सामूहिक चर्चा व चिन्तन के अवसर मिलने से इनका व्यक्तित्व विकास हुआ है जैसा कि 10.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं की स्वीकारोक्ति है। इसी प्रकार 12.8 प्रतिशत उत्तरदाता यह स्वीकारते हैं कि सिंचाई जलसंग्रहण हेतु बड़े–बड़े डैम एवं पंचायतों द्वारा खाद व बीज उपलब्ध कराने, रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने व मनरेगा आदि योजनाओं के माध्यम से कार्य मिलने से इनकी आय बढी है। वहीं 56.4 प्रतिशत उत्तरदाता यह स्वीकारते हैं कि पंचायतों के माध्यम से जनजातीय महिलायें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुई हैं।

अतः कहा जा सकता है कि पंचायतीराज ने अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक अर्जित करने में आगे बढ़ चुकी है। जिसका प्रभाव भी जनजातियों पर दिखाई देने लगा है।

तालिका 2: महिलाओं को राजनीति में आने को अच्छा मानना

क्र0	महिलाओं का राजनीति में आना	पुरुष		महिला		कुल	
		सं0	प्रति0	सं0	प्रति0	सं0	प्रति0
1	उचित	88	54.32	46	52.27	134	53.6
2	अनुचित	44	27.16	23	26.14	67	26.8
3	तटस्थ	30	18.52	19	21.59	49	19.6
	योग–	162	100.00	88	100.00	250	100.0

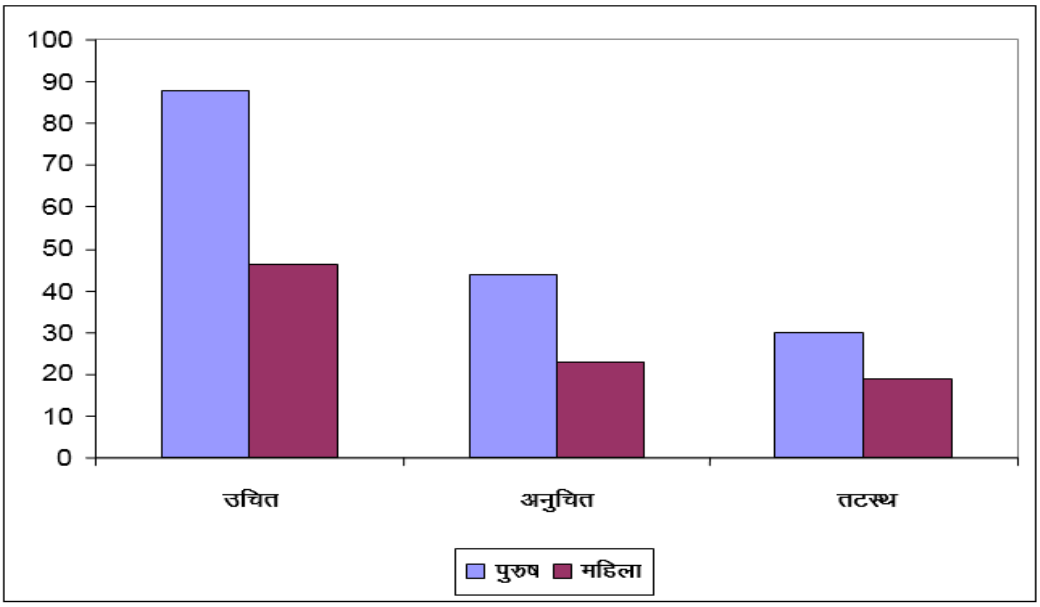

आकृति 2

उपर्युक्त तालिका से विदित होता है कि 53.6 प्रतिशत उत्तरदाता जनजातीय महिलाओं की राजनैतिक सक्रियता को उचित मानते हैं, वहीं 26.8 प्रतिशत उत्तरदाता जनजातीय महिलाओं की राजनैतिक सक्रियता को अनुचित मानते हैं तथा 19.6 प्रतिशत उत्तरदाता इस संबंध में कुछ भी स्पष्ट रूप से कहने की स्थिति में नहीं थे।

अध्ययन में सम्मिलित पुरुष उत्तरदाताओं में से 54.32 प्रतिशत जनजातीय महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को उचित तथा 27.16 प्रतिशत अनुचित मानते हैं। जबकि 18.52 प्रतिशत इस प्रश्न के उत्तर में मौन थे। इसी प्रकार अध्ययन में सम्मिलित जनजातीय महिलाओं में से 52.27 प्रतिशत जनजातीय महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को उचित मानती हैं जबकि 26.14 प्रतिशत जनजातीय महिलाओं का राजनीति में आना अनुचित मानती हैं तथा 21.59 प्रतिशत महिला उत्तरदाता इस प्रश्न का कोई नहीं दी।

अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को उचित मानने वाले उत्तरदाताओं का मानना है कि जब उन्हें आरक्षण के माध्यम से अवसर मिला है तो उनका राजनीति में आना उचित है। आरक्षण व्यवस्था के पहले पंचायतों में दबंग व आर्थिक रूप से सशक्त लोग ही नेतृत्व करते थे। उस समय जनजाति एवं गरीब व्यक्ति का पंयायत के चुनाव में कोई स्थान ही नहीं था किन्तु पंचायतीराज व्यवस्था ने स्थिति को बदल दिया है तथा अब गरीब एवं पिछड़े वर्गो तथा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों जिसमें पुरुषों एवं महिलाओं को विभिन्न पदों पर निर्वाचित होने व कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अतः महिलाओं को राजनीति में अवश्य भाग लेना चाहिए।

इसी प्रकार जनजातीय महिलाओं की राजनीति में सक्रिय भागीदारी को अनुचित बताने वाले उत्तरदाताओं का कहना है कि इससे जनजातीय संस्कृति नष्ट होगी। महिलाओं को खुले वातावरण मिलने से इनमें नैतिकता खत्म होगी और गोंड जनजाति की परम्परागत जीवनशैली नष्ट हो जायेगी। अतः महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी अनुचित है।

सुझाव

- पंचायत स्तर पर हार एवं वाजारों की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए।
- पंचायती राज द्वारा शासकीय योजनाओं का प्रचार–प्रसार अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए जिससे इनका आर्थिक विकास हो सके।
- पंचायतीय राज को ऋण की सुविधा आसानी से दिलाये जाने पर प्रयत्न करना चाहिए।
- पंचायत स्तर पर एक कोष की व्यवस्था होनी चाहिए जो कि समय–समय पर इनके आर्थिक विकास हेतु अनुदान एवं सहायता दे सके
- इनको आत्म निर्भर और स्वावलम्बी बनाने के लिए प्राथमिक रूप से जागरूक करना चाहिए

सन्दर्भ

1. भट्ट, आशीष (2002): लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण एवं उभरता जनजातीय नेतृत्व, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।
2. बसु, दर्गा दास (2013): भारत का संविधानः एक परिचय, लेक्सिस नेक्सिस, गुडगॉव हरियाणा।
3. द्विवेदी, राधेश्याम (2007): मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, सुविधा लॉ हाउस प्रा. लि. भोपाल।
4. गुप्ता, मंजू (2003): जनजातियों का सामाजिक, आर्थिक उत्थान, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
5. खेत्रपाल, बी सी (2010): मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993, खेत्रपाल पब्लिकेशन्स, इन्दौर।
6. मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातीयॉ (संशोधन 2000), मध्यप्रदेश आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
7. मेहता, प्रकाश चन्द्र (1994): वालेन्टरी आर्गेनाइजेषन एण्ड ट्राइबल डेवलपमेंट, शिवा पब्लिकेशर्स उदयपुर।
8. पालीवाल, एस एल (2000): जनजाति विकास के पंचशील सिद्धात, ट्राइब वर्ष 35 अंक 3–5।
9. प्राथमिक जनगणना सार 2011 खण्ड़ 2 जनगणना कार्य निदेशालय, मध्यप्रदेश।
10. रामप्यारे, (1991): हरिजन युवकों राजनीतिक समाजीकरण, मितल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
11. सिंह, बी पी (2004): म.प्र. की गोंड़ जनजाति का सांस्कृतिक परिदृश्य, बुलेटिन सयुक्ता 41, आदिम जाति शोध संस्थान, भोपाल।
12. सिंह, बी पी (2004): म.प्र. की गोंड जनजाति का सांस्कृतिक

परिदृश्य, बुलेटिन सयुक्ता 41, आदिम जाति शोध संस्थान, भोपाल।
13. सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह एव भट्ट, आशीष (2011): मध्यप्रदेश में पंचायत राज व्यवस्थाः विविध आयाम, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
14. सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह (2001): मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
15. त्रिपाठी, गोपाल (1973): भारत की जनजातियों का एकीकरण, वन्यजाति।
16. तिवारी, शिवकुमार (2000): मध्यप्रदेश की जनजातियॉ, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
17. उपाध्याय, विजय शंकर एवं गया, पाण्डेय (2002): जनजातीय विकास, मध्यप्रदेश ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
18. उपाध्याय, विजय शंकर एवं गया, पाण्डेय (2003): ट्रायबल डेवलपमेन्ट इन इंडियाः ए क्रिटिकल अप्राजल, क्राउन पब्लिकेशन्स राची।
19. वैद्य, नरेश कुमार (2003): जनजातीय विकासः मिथक एवं यथार्थ, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।